न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर (सीलिंग), पाली

पीठासीन अधिकारीः– श्री राधेश्याम (आर.ए.एस.)

सीलिंग प्रकरण संख्या – 01/2017

जी.सी.एम.एस. संख्या – 2017/00006

सालय/प्रार्थी	बनाम	गैर सायलान/ अप्रार्थीगण
राजस्थान सरकार		विजय सिंह पुत्र करण सिंह, जाति राजपुत, निवासी खिवान्दी के कायम मुकाम
	1	ईश्वर सिंह पुत्र श्री विजय सिंह, जाति राजपुत निवासी खिवान्दी तह. सुमेरपुर के कायम मुकाम
		1/1 श्रीमती हवनकंवर पत्नि ईश्वरसिंह
		1/2 श्री भगवानसिंह पुत्र ईश्वरसिंह
		1/3 श्री मनोहरसिंह पुत्र ईश्वरसिंह
		1/4 श्री महेन्द्रसिंह पुत्र ईश्वरसिंह

उपस्थितिः–

1. श्री सुरेन्द्र सिंह लबाना, विद्धान अभिभाषक सरकार की तरफ सें।

राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973

–:निर्णयः– दिनांक 03-12-2021

1. यह सीलिंग प्रकरण में तथ्य संक्षेप इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी एवं प्राधिकृत अधिकारी बाली ने अप्रार्थी के पिता ईश्वर सिंह के खिलाफ राजस्थान कृषि जोतों पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम, 1973 के अंतर्गत कार्यवाही प्रारम्भ की गई। जिसमें अधिनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बाली द्वारा अपने निर्णय दिनांक 13.02.1976 के तहत् गैरसायल के पास सीलिंग सीमा से कम भूमि मानते हुए सीलिंग कार्यवाही समाप्त की गई। तत्पश्चात राजस्व (सीलिंग) विभाग राजस्थान सरकार जयपुर द्वारा उक्त सीलिंग प्रकरण को पुनः री–ओपन कर अपने आदेश दिनांक 31.11.1982 के द्वारा उपखण्ड अधिकारी बाली के निर्णय दिनांक 13.02.1976 को राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम 1973 के अनुसार नहीं मानते हुए और राज्यहित के प्रतिकुल मानते हुए उक्त प्रकरण राजस्थान कृषि भूमि पर अधिकतम जोत सीमा अधिरोपण अधिनियम,1973 की धारा 15(1) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अतिरिक्त जिलाधीश पाली को प्रतिप्रेषित कर निर्देश दिये की उक्त प्रकरण को पुनः खोलकर एवं अप्रार्थीगण को नियमानुसार नोटिस जारी कर तथा सूनवाई का समूचित अवसर प्रदान कर विस्तृत जांच के उपरान्त कानूनी प्रावधानों के अनुसार अपना निर्णय देवें।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज)

2. तत्पश्चात राजस्व (सीलिंग) विभाग राजस्थान जयपुर के आदेश दिनांक 31.11. 1982 की पालना में इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 89/94 मे पारित निर्णय दिनांक 27–04–1995 के अनुसार अप्रार्थीगण के पास 81 बीघा 2 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होना मानते हुये अधिग्रहण करने का आदेश पारित किया गया। इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27.4.1995 से व्यथित होकर गैरसायल के कायम मुकाम श्री ईश्वरसिंह पुत्र श्री विजयसिंह द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपील माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के समक्ष प्रस्तुत की जिसमें माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के निर्णय दिनांक 23–07–1996 द्वारा अपील स्वीकार कर इस न्यायालय के आदेश दिनांक 27–04–1995 को अपास्त करते हुये प्रकरण पुनः परीक्षण कर विधिसम्मत निर्णय पारित करने हेतु इस न्यायालय को प्रति प्रेषित किया।

3. तत्पश्चात माननीय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 23–07–1996 की पालना मे इस न्यायायल द्वारा प्रकरण संख्या 12/96 निर्णय दिनांक 04–8–1999 के अनुसार गैरसायल के पास 105 बीघा 8 बिस्वा भूमि सीलिंग सीमा से अधिक मानते हुये अधिग्रहण करने का आदेश दिया गया। तत्पश्चात गैरसायल द्वारा इस न्यायालय के आदेश दिनांक 04.08.1999 से व्यथित होकर पुनः उक्त आदेश के विरूद्ध अपील माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल, अजमेर में प्रस्तुत की गई। माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा अपने प्रकरण संख्या 5877/2001 अनवान ईश्वरसिंह पुत्र विजयसिह निवासी खिवान्दी बनाम सरकार में पारित निर्णय दिनांक 16.7.2014 के अनुसार अपील आंशिक रूप से स्वीकार की जा कर इस न्यायालय के निर्णय दिनांक 04.08.1999 को अपास्त कर प्रकरण पुनः इस न्यायालय को प्रति प्रेषित करते हुये निर्देशित किया गया कि उक्त प्रकरण में उनके निर्णय दिनांक 16.7.2014 में अंकित विवेचन के. परिप्रेक्ष्य में प्रकरण की प्राप्ति से अधिकतम 6 माह की अवधि में पुनः नियमानुकूल निर्णय पारित करे। साथ ही माननीय राजस्व मण्डल अजमेर ने गैरसायल को निर्देशित किया की वे दिनांक 19.08.2014 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर पाली में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें।

4. माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर के आदेश दिनांक 16.4.2014 की पालना में प्रकरण को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैरसायल को जरिये नोटिस तलब किया गया।

5. प्रकरण में गैरसायल ईश्वसिंह के का.मु. भगवानसिंह, मनोहरसिंह, महेन्द्रसिंह पुत्रगण स्व. ईश्वरसिंह तथा हवन कवंर पत्नि स्व. ईश्वरसिंह की आरे से विद्धान अधिवक्ता श्री गजेन्द्र सिंह ने वकालतन नामा प्रस्तुत किया तथा जवाब पेश करने हेतु समय चाहा, जो इस न्यायालय द्वारा न्यायहित में लगभग 4 वर्षों से भी अधिक समय तथा प्रयाप्त मात्रा में अवसर

अति जिला कलेक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

दिये जाने के उपरान्त भी गैरसायल के कायम मुकामों और उनके अधिवक्ता द्वारा किसी प्रकार का जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया और न ही अपने पक्ष में काई साक्ष्य/सबूत प्रस्तुत किये तथा न ही उक्त प्रकरण के निस्तारण हेतु किसी प्रकार की बहस की गई, जिससे जाहिर होता हैं कि गैरसायलान व उनके अधिवक्ता सीलिंग कार्यवाही से बचने के उद्धेश्य से इस प्रकरण का निस्तारण करवाना नहीं चाहते हैं तथा प्रकरण को अनवाश्यक रूप से लम्बा चला कर न्यायालय का महत्वपूर्ण समय व्यर्थित कर रहे हैं। अन्ततः पत्रावली एक पक्षीय बहस हेतु मकर्र की गई।

6. प्रकरण में सरकार की ओर से राजकिय अधिवक्ता की एक पक्षीय बहस सुनी गई।

7. राजकीय अभिभाषक ने निवेदन किया कि गैरसायल द्वारा धारित भूमि जवाई कामण्ड क्षेत्र की व चाही भूमि है। माननीय न्यायालय राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने निर्णय दिनांक 16.7.2014 में गैरसायलना को निर्देशित किया था की वे दिनांक 19.8.2014 को न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली के न्यायालय में उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करे। इस न्यायालय द्वारा काफी लम्बा समय व प्रर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरान्त भी गैरसायलान व उनके अधिवक्ता द्वारा अपने पक्ष को साबित करने हेतु न तो किसी प्रकार का जवाब पेश किया और न ही किसी प्रकार के साक्ष्य/सबूत पेश किये और न ही प्रकरण के विस्तारण हेतु किसी प्रकार की बहस की गई, जिससे जाहिर होता हैं कि गैरसायलान व उनके अधिवक्ता के पास अपने पक्ष में काई जवाब नहीं हैं तथा उनके द्वारा महज सीलिंग कार्यवाही से बचने के उद्धेश्य से प्रकरण का निस्तारण नहीं करवाया जा रहा हैं तथा प्रकरण को अनावश्यक रूप से लम्बा बढाया जा रहा हैं।

8. साथ ही राजकीय अधिवक्ता ने निवेदन किया की इस न्यायालय द्वारा प्रकरण संख्या 12/96 के निर्णय दिनांक 04.8.1999 में विस्तृत विवेचन करते हुए तथ्यात्मक एवं विधिसम्मत निर्णय पारित किया गया हैं। अतः उसी के अनुसार पुनः निर्णय पारित किया जावें।

9. हमने सरकारी पैराकर की बहस पर मनन किया। सीलिंग प्रकरण का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न जमांबदी सम्वत 2023 से 2026 के अनुसार गैरसायल मृतक विजयसिंह के पास निम्नाकित भूमि खाते में थी–

खाता संख्या	खसरा नंबर	रकबा (बीधा– बिस्वा)	किस्म
239	625	13.13 में 1/4 हिस्स	चाही
	627	24.07 में 1/4 हिस्सा	चाही
	627	0.09 में 1/4 हिस्सा	चाही
240	613	1.06	चाही

अति जिला कलक्टर (सीलिं.)
पाली (राज.)

	994	3.04	चाही
	995	16.14	चाही
	997	2.05	चाही
	128/1	10.11	जवाई प्रथम
	128/2	10.02	बारानी
	912	6.13	बारानी
	913	10.09	बारानी
	914	8.06	बारानी
	918	6.16	बारानी
	926	5.01	बारानी
	1008	7.06	बारानी
	1012	1.00	बारानी
	371	27.18	बारानी
	378	1.04	बारानी
	801/1	34.08	बारानी
	801/3	14.11	बारानी
	821	0.15	बारानी
	128/3	0.07	बारानी
	900	0.04	बारानी
	373	0.12	बारानी
	801/2	2.19	बारानी
	996	0.05	बारानी
	612	1.03	बारानी
	614	0.07	बारानी
	664	0.12 में 1/2 हिस्सा	चाही
	665	16.05 में 1/2 हिस्सा	चाही
	663	0.04 में 1/2 हिस्सर	चाही
	कुल	201.14	

उपरोक्तानुसार भूमि की किस्म बारानी, चाही एवं सिचित है। इस प्रकार मृतक गैरसायल विजयसिंह के पास दिनांक 01.4.66 को 201 बीघा 14 बीस्वा भूमि धारित थी। गैरसायल द्वारा दिनांक 4.6.66 को भगा वगैरह को 1500/– में 57 बीघा 2 बिस्वा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के विक्रय की जाना बताया हैं, वो लगभग 27 रू प्रति बीघा से भी कम प्रतिफल के है अर्थात नगण्य प्रतिफल के बैचाण की हैं। साथ ही गैरसायल द्वारा इस विक्रय को सिद्ध नहीं करवाया गया है तथा यह भी प्रमाणित नही करवाया गया है कि क्रेतागण भूमिहीन काश्तकार होकर सदभावी कृषक है। मृतक गैरसायल द्वारा उक्त हस्तानान्तरण किये जाने का क्या अभिप्रायः था, यह भी स्पष्ट नहीं हैं। अतः यह हस्तानान्तरण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 30डी व 30डी डी के तहत् सदभावी नहीं होने से अस्वीकार किया जाता है।

अब मृतक अप्रार्थी द्वारा धारित भूमि की गणना धारा 4(1) के द्वितीय परन्तुक एवं धारा 4 व 5 के अनुसार अलग अलग की जानी है धारा 4(1) के द्वितीय परन्तूक अनुसार निम्न स्टैण्डर्ड एकड़ बनते हैः–

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

किस्म	रकबा (बीघा/बिस्वा)	एकड़ में	स्टैण्डर्ड एकड
जवाई	29.13	11.86	9.88
चाही	40.07	16.14	7.93
बारानी	131.14	52.68	35.17
कुल	201.14	90.69	35.17

इस प्रकार मृतक गैरसायल विजयसिंह द्वारा धारित भूमि 35.17 स्टैण्डर्ड एकड़ भूमि हैं। सीलिंग नये कानून की धारा 4 व 5 के अनुसार गणना करने पर यह स्पष्ट है कि 29 बीघा 13 बिस्वा भूमि जवाई एक फसली है अतः शेष रकबो को 27:49 एवं 27:54 के अनुपात में एक फसली एश्योर्ड में परिवर्तित करने पर क्रमशः 11.86 + 9.08 + 26.34 अर्थात 47.28 एकड़ एक फसली एश्योर्ड भूमि मृतक विजयसिंह द्वारा 1.1.73 को धारित थी। पत्रावली में उपलब्ध परिवार की सूची अनुसार 1.1.73 को 2 सदस्य गैरसायल मृतक विजयसिंह एवं उनके पुत्र मृतक ईश्वरसिंह थे। पत्रावली में मौजूद सभी दस्तावेजो से यह स्पष्ट है कि ईश्वरसिंह 1.1.73 को बालिग था। प्रश्न यह है कि ईश्वरसिंह पृथक यूनिट का अधिकारी है अथवा नही ? विवादग्रस्त आराजी पिता (मृतक अप्रार्थी) के खातेदारी की है जिससे पुत्र ईश्वरसिंह का जन्म से हिस्सा निहित नही है तथा आराजी का पुश्तैनी होना किसी भी दस्तावेज से सिद्ध नहीं होता है अतः आराजी पुश्तैनी नही होने से पुत्र ईश्वरसिंह का विवादग्रस्त आराजी में जन्म से सीधा कोई हक निहित नही होता है जिससे इस आराजी हेतु पृथक युनिट का काई अधिकार उत्पन्न नहीं होता। माननीय न्यायालयो का प्रतिपादित सिद्धान्त आ आर डी 1981 पृष्ठ संख्या 410 पर प्रतिपादित किया गया है। अतः गैरसायल का परिवार 27 एकड़ एक फसली एश्योर्ड भूमि धारित कर सकता है। परिणामस्वरूप 20.28 एकड़ एक फसली एश्योर्ड भूमि अर्थात 42.16 एकड़ अर्थात 105 बीघा 8 बिस्वा बारानी भूमि अधिग्रहण योग्य रहती है।

अतः सीलिंग प्रकरण को गुणावगुण के आधार पर गैरसाय/कायम मुकाम द्वारा धारित भूमि सीलिंग सीमा से अधिक होने से 105 बीघा 8 बिस्वा बरानी भूमि (अन्य किस्म की भूमि अधिग्रहरण करनी पड़े तो 1 बीघा जवाई = 1 बीघा 15 बिस्वा चाही = 2 बीघा बारानी के अनुपात में अधिग्रहरण करें) अधिग्रहण की जाने का आदेश दिया जाता है। गैरसायल इस आदेश के 15 दिवस के भीतर भीतर अपना विकल्प पत्र तहसीलदार सुमेरपुर को पेश करें। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुमेरपुर को भेजकर लेख है कि वे गैरसाय के कायम मुकाम से विकल्प पत्र प्राप्त होने पर उपरोक्तानुसार भूमि अधिग्रहण करे। गैरसायल के कायम मुकाम से निर्धारित अवधि में विकल्प पत्र प्राप्त नहीं होने पर गैरसायल के परिवार के सदस्यों के पास धारित भारमुक्त भूमि का अधिग्रहण किया जावें। अगर गैरसायल के पास भारमुक्त भूमि अधिग्रहण करने योग्य कम है तो भारमुक्त भूमि अधिग्रहण करने के पश्चात पश्चावर्ती क्रम में हस्तान्तरित की गयी भारमुक्त भूमि अधिग्रहण की जावें। साथ ही यदी इस कानून के तहत् पूर्व में कोई भूमि अधिग्रहित की गई हो तो नियमानुसार उसका समायोजन किया जावें।

अति जिला कलक्टर (सीलिंग)
पाली (राज.)

11. आदेश की प्रति श्रीमान जिला कलेक्टर महोदय, पाली तथा उपखण्ड अधिकारी, सुमेरपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जावें।

अति जिला कलेक्टर (सीकिंग)
पाली (राज.)

आदेश आज दिनांक 03/12/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

अति जिला कलेक्टर (सीकिंग)
पाली (राज.)